नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना

(CIN No.: U40109BR2012SGC018920) बेवसाइट: www.nbpdcl.in
निबंधित कार्यालय – विद्युत भवन, बेली रोड, पटना

संकल्प सं0 993 दिनांक 02-12-15
N-II/Alleg -Muz-1036/2014

श्री श्रवण कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मथुरापुर (समस्तीपुर) को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा दिनांक 14.10.2014 को खानपुर थाने के इलमासनगर चौक निवासी मो0 ऐतवारी मियाँ से आटा चक्की चलाने के लिए विद्युत संबंध देने संबंधी कार्य हेतु घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं उनके विरूद्व निगरानी थाना कांड संख्या 074/2014 दिनांक 14.10.2014 दर्ज किये जाने के आलोक में उन्हें कम्पनी के कार्यालय आदेश संख्या 1431 दिनांक 16.10.2014 द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम 99 के तहत, उनकी गिरफ्तारी की तिथि दिनांक 14.10.2014 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

कम्पनी के संकल्प संख्या 107 दिनांक 07.02.2015 द्वारा श्री कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया एंव इसके संचालन हेतु श्री एस0 के0 सिंह, मुख्य अभियंता (योजना), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया गया। श्री कुमार के विरूद्व विभागीय कार्यवाही में गठित आरोप निम्नवत है :–

"मो0 एतवारी मियाँ, पिता–मो0 बुधन मियाँ, सा0–इलमासनगर थाना–खानपुर, जिला–समस्तीपुर के नाम से आटा चक्की मील में विद्युत कनेक्शन देने के एवज में आवेदक मो0 एतवारी मियाँ से दिनांक 14.10.2014 को विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मथुरापुर कार्यालय में रूपया 20,000/– (बीस हजार) मात्र रिश्वत (घुस) लेते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के धावा दल द्वारा उन्हें रंगे हाथ पकड़ा गया। उक्त आपराधिक कृत्य के लिए इनके विरूद्व निगरानी थाना, पटना में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 की संगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी। उनका उक्त आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के अंतर्गत अशोभनीय एवं भ्रष्ट है।"

जॉच पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन पूरा कर दिनांक 29.04.2015 को जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को पूर्ण रूप से प्रमाणित पाया गया।

जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही से संबंधित सुसंगत अभिलेखों की समीक्षा , के क्रम में आरोपित श्री कुमार का एक आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें उनके द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु जॉच पदाधिकारी से आरोप से संबंधित साक्ष्य एवं अभिलेखो की मांग की गई थी। श्री कुमार के आवेदन के आलोक में कंपनी के पत्रांक 586 दिनांक 24.06.2015 द्वारा Bihar CCA Rules, 2005 के नियम 18 (I) के तहत पुनः जॉच हेतु जॉच पदाधिकारी को विभागीय कार्यवाही के अभिलेख के साथ जॉच प्रतिवेदन लौटाया गया।

जॉच पदाधिकारी द्वारा पुनः जॉचोपरान्त दिनांक 16.10.2015 को जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा श्री कुमार के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गए।

जॉच प्रतिवेदन एवं विभागीय कार्यवाही से संबंधित सुसंगत अभिलेखों के समीक्षोपरांत जॉच पदाधिकारी के निष्कर्ष से सहमत होते हुए कंपनी के संकल्प सं0– 903 दिनांक 23.10.2015 द्वारा (जॉच प्रतिवेदन के प्रति के साथ) आरोपित श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गई ।

इस मध्य, श्री कुमार के कारावास से जमानत पर रिहा होने के फलस्वरूप कंपनी के कार्यालय आदेश संख्या 1731 दिनांक 07.11.2015 के द्वारा दिनांक 06.11.2015 के प्रभाव से उन्हें निलम्बन से मुक्त करते हुए बिहार सेवा संहिता के नियम 100 के तहत पुनः तत्क्षण प्रभाव से उन्हें निलम्बित किया गया।

द्वितीय कारण पृच्छा के संदर्भ में आरोपित श्री कुमार द्वारा दिनांक 10.11.2015 को एक अभ्यावेदन समर्पित किया गया जिसमें उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित करने के पूर्व आरोप से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने तथा गवाहों का उनके समक्ष परीक्षण–प्रतिपरीक्षण करने तथा बचाव पक्ष के गवाह प्रस्तुत करने हेतु अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन एवं सभी सुसंगत अभिलेख तथा अरोपित श्री कुमार के द्वारा दिनांक 10.11.2015 को समर्पित अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी द्वारा आरोपित को अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। आरोपित श्री कुमार के अनुरोध पर जाँच पदाधिकारी को पुनः जाँच हेतु मामला लौटाया गया था एवं जाँच पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए आरोपित को अपना पक्ष रखने हेतु पुनः अवसर प्रदान किया गया परन्तु आरोपित अपना पक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहे। जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध भ्रष्ट आचरण एवं कदाचार के आरोप प्रमाणित पाए गए। जाँच प्रतिवेदन के आधार पर, इसकी प्रति के साथ, की गई द्वितीय कारण पृच्छा के विरूद्ध आरोपित श्री कुमार के द्वारा दिनांक 10.11.2015 को समर्पित अभ्यावेदन ग्राह्य नहीं पाया गया और यह पाया गया कि उनके द्वारा प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत कर मात्र मामले को लंबित रखने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम 3 के अंतर्गत अशोभनीय कृत्य यथा रिश्वतखोरी के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सेवा नियमावली 1976 के नियम 73 (I) (a) (VII) सहपठित Bihar CCA Rules, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत कंपनी के सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया ।

तदनुसार, श्री श्रवण कुमार, तदेन कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मथुरापुर (समस्तीपुर) सम्प्रति निलम्बित, मुख्यालय– विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में रिश्वतखोरी के प्रमाणित आरोप के लिए उन्हें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड सेवा नियमावली, 1976 के नियम 73 (I) (a) (VII) सहपठित Bihar CCA Rules, 2005 के नियम 14 (XI) के तहत तत्क्षण प्रभाव से कंपनी के सेवा से बर्खास्त (Dismiss) किया जाता है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति, श्री श्रवण कुमार, तत्कालीन कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मथुरापुर (समस्तीपुर) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को हस्तगत करा दी जाए।

कम्पनी के आदेश से,
ह0/–

(बिनोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)।

कृ0पृ0उ0

ज्ञापांक.................................. दिनांक ....

निबंधित

प्रतिलिपिः– श्री श्रवण कुमार, कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रशाखा, मथुरापुर (समस्तीपुर) सम्प्रति सेवा से बर्खास्त, विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर/श्री श्रवण कुमार, पिता– श्री दामोदर साह, ग्राम– मंझौलिया, थाना – बेला, जिला– सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(बिनोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)।

ज्ञापांक.................................. दिनांक ....

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना/ प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी / वरीय निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

(बिनोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)

ज्ञापांक.................................. दिनांक ....

प्रतिलिपिः– निदेशक परियोजना/सभी मुख्य अभियंता/महाप्रबंधक (मा0सं0/प्र0)/महाप्रबंधक (राजस्व) /सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता/ वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी लेखा पदाधिकारी/ लेखा पदाधिकारी (स्थापना), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उक्त संकल्प की प्रति श्री श्रवण कुमार, तदेन कनीय विद्युत अभियंता सम्प्रति बर्खास्त को अपने स्तर से भी हस्तगत कराने की कृपा करें।

ह0/–

(बिनोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)

ज्ञापांक 994 दिनांक 01-12-15

प्रतिलिपिः– पुलिस महानिदेशक/पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

01.12.15

(बिनोद कुमार गुप्ता)
उप महाप्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)

1/12